

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(12)2023-24/गोप्र/प्रमुखसं/3069/सी

दिनांक : 20.02.2024

## -:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 15 (12) 2022-23/गो.प्र./प्रमुखसं/8377-90/सी दिनांक 29.09.2023 एवं एफ. 15 ( ) 2022-23/गो.प्र./प्रमुखसं/8570-76/सी दिनांक 06.10.2023 द्वारा निम्नांकित वनपाल को क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर चयन किया जाकर पदोन्नत किया गया था। उक्त लोक सेवकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर किए जाने के निम्नानुसार आदेश प्रचलित किए जाते हैं:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान
1	हितेन्द्र सिंह	नटवर सिंह	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुरावड, कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर
2	नीतेश जोशी	राजेन्द्र सिंह	उप वन संरक्षक, धौलपुर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुढाचन्द्रजी, कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली
3	मनीष कुमार मीणा	सत्य नारायण मीणा	उप वन संरक्षक, कोटा	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वादकरण, कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली
4	सोनम कुमारी	मान सिंह	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वादकरण, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौडगढ
5	कालू राम जाट	किसना राम	उप वन संरक्षक, नागौर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन सुरक्षा, कार्यालय उप वन संरक्षक टोंक
6	सत्यवीर बबेरवाल	भाता राम	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्य आयोजना, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर
7	प्रभुराम धूण	शोदान राम	उप वन संरक्षक, अजमेर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, नसीराबाद, कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

उपरोक्त क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.02.2024 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त करने/कार्यग्रहण कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि कार्मिक निलम्बित/सेवानिवृत्त नहीं हो तथा पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को अग्रिम आदेशों की प्रतिक्षा में इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जो कार्मिक (पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले) पदोन्नति का परित्याग करना चाहते हैं, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त करें। प्रार्थना-पत्र प्राप्त ना होने की स्थिति में दिनांक 29.02.2024 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 05.03.2024 तक ई-मेल [dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(मुनीश कुमार गर्ग)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15 (12) 2023-24 / गोप्र / प्रमुवसं / 3070-89 / सी

दिनांक : 20.02.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/वन्यजीव, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, झूंगरपुर/धौलपुर/कोटा/प्रतापगढ/नागौर/अजमेर/उदयपुर/करौली/झालावाड/वन्यजीव चित्तौडगढ/टोंक।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष।
5. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)  
राजस्थान, जयपुर